न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 47/2022 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस. नम्बर—2025/77

उनवान

1. श्रीमती गुलाब कुंवर पत्नी अनोपसिंह जी, राजपुत उम्र 64 वर्ष, निवासी राणावत वाडा, बामनिया तहसील सलूम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)।

—प्रार्थीय

विरूद्ध

1. श्री पर्वतसिंह दत्तक पुत्र गुलाबसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग, निवासी राणावत वाडा, बामनिया तहसील सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)।
2. श्रीमती हमीर बाई पत्नी गुलाबसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग, निवासी राणावत वाडा बामनिया तहसील सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार महोदय, सलुम्बर तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः—29/09/25

उपस्थितिः— श्री सुरेश पुरी अधिवक्ता — प्रार्थीया
विपक्षी सं. 1 व 2 — एकपक्षीय
विपक्षी सं. 3— पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का पेश किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थीय के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा राणावत वाडा पटवार हल्का बामनिया तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर में स्थित है, जिसकी जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 323 आराजी नम्बर 1509/0.0300, 1513/0.0400, 1514/0.0600 कुल किता 03 रकबा 0.01300 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थिया ने उक्त कृषि भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी और विक्रय पत्र के आधार पर मुझ प्रार्थिया एवं मेरी बहु निरूबेन उर्फ निरू कुंवर पत्नी ईश्वर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण खुला और राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थिया एवं मेरी बहुओ के नाम से है जिसमें मुझ प्रार्थिया एवं मेरी बहु गुलाब कुंवर एवं निरूबेन प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है और मौके पर हम काबिज काश्त है।

प्रार्थिया ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय, सलुम्बर से उक्त शामलाती कृषि भूमि की चारो दिशाओं का सही सीमांकन करने बाबत् सीमा जानकारी का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर हल्का पटवारी बामनिया एवं भू—अभिलेख निरीक्षक अधिकारी मौके पर आकर सीमा जानकारी की लेकिन मुझ प्रार्थिया के शामलाती खातेदारी आराजी नम्बर 1513

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

रकबा 0.04 हेक्टर एवं 1514 रकबा 0.06 हेक्टर के सीमा के पास ही विपक्षीगण सं. 1 पर्वतसिंह एवं विपक्षी सं. 2 हमीर बाई के आराजी नम्बर 1512 है, जिन्होने सीमा जानकारी करने पर उजर एतराज किया एवं मौके पर विवाद किया जिस कारण मुझ प्रार्थिया के आराजी नम्बर 1513 एवं 1514 की सीमा जानकारी नहीं हो सकी और हल्का पटवारी ने दिनांक 20–05–2025 को मौके पर पर्चामौका बनाया और कहा कि मौके पर विवाद की स्थिति होने से सीमा जानकारी नहीं होगी और मौके पर मौतबीर भी उपस्थित थे लेकिन हल्का पटवारी ने मौका पर्चा बनाते समय विवादित आराजी नम्बर 1513 व 1514 नहीं बताया है और मात्र आराजी नम्बर 1515 के दक्षिण दिशा में विवादित आराजी नम्बर विपक्षीगण का 1512 बताया है और पर्चे मौके में मुझ प्रार्थिया के दोनों खाता नम्बर 320 एवं 323 बताया है और पर्चे मौके में आराजी नम्बर 320 व 323 खाता नम्बर को सेवन से आराजी नम्बर बताया है जो गलत है।

प्रार्थिया अपने स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि के चारो तरफ पत्थर का कोट बनवाना चाहती है जिस बाबत् विवादित आराजी नम्बर 1513 व 1514 के पास विपक्षीगण के आराजी नम्बर 1512 है जो जबरन मुझ प्रार्थिया के खातेदारी आराजी नम्बर 1513 व 1514 पर नाजायज कब्जा कर हडपना चाहते है जिस कारण लडाई झगडा कर सीमा जानकारी नही करने दी और मौके पर पत्थर का कोट भी बनाने से मना कर रहे है और मौके पर विवाद की विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे है इसलिये पत्थरगढी कराना अति आवश्यक हो गया है। प्रार्थिया ने सीमा जानकारी करवाई थी लेकिन हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20–05–2025 को बनाये गये पर्चे मौके में पटवारी रिपोर्ट के अनुसार सीमांज्ञान करवाया गया जिससे काश्तकार संतुष्ट नहीं होकर एवं मौके पर विवाद होने पर पत्थरगढी कराने की सलाह दी गई। इसलिये प्रार्थिया को व्यथित होकर माननीय न्यायालय में यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

प्रार्थिया की आराजी एवं पडौसी आराजीयात के मध्य विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है ताकि दोनों के मध्य भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो। प्रार्थना पत्र कारण अन्तिम बार दिनांक 20–05–2025 को तब उत्पन्न हुआ जब पडौसी आराजीयात के स्वामियों ने आपसी सहमति से सीमांकन करा पत्थरगढी करने से इन्कार कर दिया और प्रार्थिया के खेतो की बाड कोट तोडने लगे। यही प्रार्थना पत्र कारण स्थान राणावतवाडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर में हुआ जो आज भी निरन्तर जारी है और प्रार्थिया पत्थरगढी कराने के लिये माननीय न्यायलय के आदेशानुसार पत्थरगढी का शुल्क भी जमा कराने को तैयार हैं।

अतः निवेदन है कि प्रार्थिया की विवादित आराजी नम्बर 1513 व 1514 एवं पडौसी विपक्षीगण की आराजी न्म्बर 1512 की भूमि के मध्य विधिवत सीमांकन कर राजस्व रिकार्ड के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक मय हल्का पटवारी एवं नायब तहसीलदार के मार्फत पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 एक, 2 दो बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 1 एक व 2 दो के खिलाफ आदेशिका दिनांक 20–08–2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी सं. 3 पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित रहे। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 ने जवाब पेश नही किया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पत्रावली मे प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीया के आराजी नम्बर 1513 व 1514 एवं पडौसी विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1512 की भूमि के मध्य पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। ।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा एवं पटवार हल्का बागनिया राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 323 आराजी नम्बर 1509 / 0.0300, 1513 / 0.0400, 1514 / 0.0600 कुल किता 03 रकबा 0.01300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया संयुक्त खातेदार होकर प्रार्थीया का 1 / 3 हिस्सा दर्ज अंकित है तथा अन्य दो खातेदार गलाब कुंवर पत्नी अनोपसिंह हिस्सा 1 / 3 व निरूबेन उर्फ निरूकुंवर पत्नी नेपालसिंह हिस्सा 1 / 3 दर्ज अंकित है। एवं विपक्षी सं. 1 से 3 तक सहखातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीया ने संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 1513 व 1514 की पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया है जिसमे अन्य संयुक्त खातेदारो को भी हित निहित है। प्रार्थीया ने आराजी नम्बर 1513, 1514 के अन्य संयुवत खातेदारो को इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया है जो की आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का शामलाती खातेदारो जो की प्रार्थना पत्र के आवश्यक पक्षकार है उन्हे प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/09/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदिश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर